कार्यालय, नगरपालिक निगम, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2026/416 भिलाई, दिनांक 02/7/2026

कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग के पत्र क्रमांक 5029 दिनांक 01.01.1993 के माध्यम से ग्राम–जुनवानी, प.ह.न. 56/15, खसरा न. 22/1 तथा 26/3 कुल रकबा 14.82 एकड़ पर बहुर सिंह आ. श्री चोवाराम साहू, जुनवानी द्वारा प्रस्तावित SBI कॉलोनी हेतु आवासीय (भूखण्डीय) विकास अनुज्ञा स्वीकृत की गई थी, स्वीकृत विकास अनुज्ञा में दर्शित शर्तों तथा छ.ग. नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन एवं शर्ते) नियम, 1998 के नियम के 10 में दर्शित प्रावधान अनुसार श्री बहुर सिंह आ. श्री चोवाराम साहू द्वारा कमजोर आय वर्ग (ई.डब्लयू.एस.) हेतु कुल योजना भूमि का 15 प्रतिशत रकबा 2.22 एकड आरक्षित रखा जाना था, इसी प्रकार छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 47 के प्रावधान अनुसार सामुदायिक खुला क्षेत्र कुल योजना क्षेत्र का 10 प्रतिशत अर्थात् 1.20 एकड़ आरक्षित रखा जाना था, जिसे उनके द्वारा अप्राधिकृत रूप से भूखण्डों का उप–विभाजन कर विक्रय किया गया है।

इस प्रकार श्री बहुर सिंह आ. श्री चोवाराम साहू द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 एवं छत्तीसगढ नगरपलिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन एवं शर्ते) नियम 1998 सहमठित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन एवं शर्ते) नियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। नियमों के निरन्तर उल्लंघन से उपरोक्त कॉलोनी, अवैध कॉलोनी की श्रेणी में है।

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292– एफ (2) में प्रावधान किया गया है कि **''आयुक्त, अवैध कॉलोनी निर्माण की भूमि का प्रबंध अधिग्रहित करने के प्रयोजन के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में 3 बार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा, ऐसी सूचना के प्रकाशन के पश्चात् यदि किसी कॉलोनी निर्माण करने वाले या भू–खण्ड धारक से कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो आयुक्त द्वारा उस पर विचार किया जायेगा और यदि कोई आपत्ति प्राप्त नही होती है, तो आयुक्त ऐसी भूमि प्रबंध अधिग्रहित करेगा और उस क्षेत्र के लिए योजना बनायेगा तथा उसे ऐसी रीति तथा ऐसी शर्तों के अध्याधीन विकसित करेगा जैसे कि विहित किया जाये।''**

उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा प्रथम सार्वजनिक सूचना क्रमांक/न.नि.भि/भ.अ./1138/2026 भिलाई, दिनांक 22.01.2026 जारी किया गया है जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र ''पत्रिका'' एवं ''तरूण छत्तीसगढ़'' में दिनांक 30.01.2026 को कराया गया है। नियत समयावधि में किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।

नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय द्वारा द्वितीय सार्वजनिक सूचना क्रमांक/न.नि.भि./भ.अ./197/2026 भिलाई, दिनांक 22.05.2026 जारी किया जाकर स्थानीय समाचार पत्र ''तरूण छत्तीसगढ'' एवं ''नई दुनिया'' में दिनांक 24.05.2026 को सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया गया है, द्वितीय सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन उपरान्त भी नियम समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

क्रमशः......02

इस कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292–एफ(2) में दर्शित प्रावधान अनुसार तृतीय एवं अंतिम सार्वजनिक सूचना क्रमांक/न.नि.भि./भ.अ./306/2026 भिलाई, दिनांक 10.06.2026 जारी किया गया तथा उसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र "हरिभूमि" एवं "श्रमबिन्दु" में दिनांक 11.06.2026 को प्रकाशन कराया गया है, तृतीय एवं अंतिम सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन उपरान्त भी नियम समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292–एफ(2) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि उपरोक्तानुसार सूचना के प्रकाशन के पश्चात् यदि किसी कॉलोनी निर्माण करने वाले या भू–खण्ड धारक से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो आयुक्त द्वारा उस पर विचार किया जायेगा और **यदि कोई आपत्ति प्राप्त नही होती है, तो आयुक्त ऐसी भूमि का प्रबंध अधिग्रहित करेगा और उस क्षेत्र के लिये योजना बनायेगा तथा उसे ऐसी रीति तथा ऐसी शर्तो के अध्याधीन विकसित करेगा जैसे कि विहित किया जाये।**

अतः ग्राम–जुनवानी, प.ह.न. 56/15, खसरा न. 22/1 तथा 26/3 कुल रकबा 14.82 एकड़ पर बहुर सिंह आ. श्री चोवाराम साहू, जुनवानी द्वारा प्रस्तावित SBI कॉलोनी हेतु आवासीय (भूखण्डीय) विकास अनुज्ञा स्वीकृत की गई थी, स्वीकृत विकास अनुज्ञा में दर्शित शर्तों तथा छ.ग. नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन एवं शर्ते) नियम, 1998 के नियम के 10 में दर्शित प्रावधान अनुसार श्री बहुर सिंह आ. श्री चोवाराम साहू द्वारा कमजोर आय वर्ग (ई.डब्लयू.एस.) हेतु कुल योजना भूमि का 15 प्रतिशत रकबा 2.22 एकड आरक्षित रखा जाना था, इसी प्रकार छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 47 के प्रावधान अनुसार सामुदायिक खुला क्षेत्र कुल योजना क्षेत्र का 10 प्रतिशत अर्थात् 1.20 एकड़ आरक्षित नही रखने के कारण उपरोक्त कॉलोनी अवैध कॉलोनी की श्रेणी में निरंतर बनी हुई है।

उपरोक्त समुचित विचार उपरान्त छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292–एफ(2) में दर्शित प्रावधान अनुसार उपरोक्त अवैध कॉलोनी का प्रबंध निगम द्वारा अधिग्रहित करने के आशय से 02 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सार्वजनिक सूचना प्रकाशन उपरान्त नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने से छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292–एफ(2) में दिये गये प्रावधान अनुसार कार्यवाही करते हुये श्री बहुर सिंह आ. श्री चोवाराम साहू द्वारा ग्राम–जुनवानी, प.ह.न. 56/15, खसरा न. 22/1 तथा 26/3 कुल रकबा 14.82 एकड़ में विकसित SBI कॉलोनी एवं कॉलोनी की भूमि का प्रबंध निगम द्वारा एतद्द्वारा अधिग्रहित किया जाता है तथा कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा उपरोक्तानुसार स्वीकृत अभिन्यास/विकास अनुज्ञा में दर्शित शर्तो तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंधन एवं शर्ते) नियम 1998 के नियम 10 में दर्शित प्रावधान अनुसार SBI कॉलोनी द्वारा कमजोर आय वर्ग (EWS) व्यक्तियों हेतु कुल योजना भूमि का 15 प्रतिशत रकबा 2.22 एकड भूमि का पंजीयन नगरपालिक निगम भिलाई के पक्ष में नियमानुसार कराने हेतु आदेशित किया जाता है।

आयुक्त
नगरपालिक निगम
भिलाई

क्रमशः.....03

पृ.क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2026/417 भिलाई, दिनांक 2/7/2026

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर महोदय, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, नगरपालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं 02 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ
5. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 01 नेहरू नगर, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कार्यालयीन सूचना पटल।
7. श्री बहुर सिंह आ. श्री चोवाराम साहू, जुनवानी द्वारा प्रस्तावित SBI कॉलोनी भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगरपालिक निगम
भिलाई